राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1738/ SEIAA/2022
Date: 29-9-22

प्रति,

कलेक्टर
जिला – इंदौर (म.प्र.)

विषयः प्रकरण क्रमांक 9225/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441, द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.028 हेक्टेयर, खसरा 1304/1,1304/2, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन। ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 748वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.552 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर इन्दौर को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण में खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित समस्त खदानों की वास्तविक स्थिती की जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करें।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव